

“बिजनेस पोस्ट के अल्तगत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलडी, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
‘छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.’

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 292]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 जुलाई 2016 — श्रावण 3, शक 1938

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2016

क्रमांक/एफ -17-12/2016/25-2. — भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अधिसूचना क्रमांक सा. का. नि. 424 (अ) नई दिल्ली, ठिनांक 14 अप्रैल, 2016 के अनुसरण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 एवंद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु पुनः प्रकाशित की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आवेद्यानुसार,
डॉ. ढी. कुंजाम, संयुक्त सचिव,

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 2016

सा. का. नि. 424 (अ). — केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त स्वक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1995 का 33 और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 है।
(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
(ख) “आधिकृत” से पीड़ित के पति या पत्नी, बालक, माता-पिता, भाई और बहन अभिग्रेत हैं जो आलंब और पोषण के लिए ऐसे पीड़ित पर पूर्णतया या मुख्यतया आधिकृत हैं।

3. उक्त नियम के नियम 4 में,-

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर, ऐसे विशेष ज्येष्ठ अधिकारीओं की ऐसी संख्या का पैनल प्रत्येक जिले के लिए तैयार करेगी जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसाय में हों जैसा वह विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों को संचालित करने के लिए आवश्यक समझे।

(1अ) राज्य सरकार निदेशक अभियोजन या अभियोजन भारसाधक के प्रगम्भ से लोक अभियोजकों और अनन्य विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए आवश्यक समझे।

(1आ) उपनियम (1) और उपनियम (1अ) में निम्निष्ट दोनों पैनल राज्य के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेंगे।”;

(ख) उपनियम (2) में “विशेष लोक अभियोजक” शब्दों के स्थान पर, “विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक” शब्द रखे जाएंगे।

(ग) उपनियम (3) में “किसी विशेष लोक अभियोजक” शब्दों के स्थान पर, “किसी विशेष लोक अभियोजक या अनन्य विशेष लोक अभियोजक” शब्द रखे जाएंगे।

(घ) नियम 4 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(4) जिला मजिस्ट्रेट और जिला स्टर पर अभियोजन का भारसाधक अधिकारी को,-

(क) इस अधिनियम के अधिनियम रजिस्ट्रीकूल मामलों वी स्थिति;

(ख) अधिनियम के अध्याय 4 के उपवर्धों के अधीन विनिर्दिष्ट पीडितों और गवाहों के अधिकारों का कार्यान्वयन,

का पुनर्विलोकन करेगा और प्रत्येक पश्चात्यन्ती मास की दीसवीं तारीख को या उससे पूर्व अभियोजन निदेशक और राज्य सरकार को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें प्रत्येक मामले के अन्वेषण और अभियोजन के संदर्भ में की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई विनिर्दिष्ट होगी।”;

(ड) उपनियम (5) में “विशेष न्यायालयों में न्यायालयों का संचालन के लिए” शब्दों के स्थान पर “विशेष न्यायालयों या अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों के संचालन के लिए” शब्द रखें जाएंगे;

(च) उपनियम (6) के स्थान पर, “विशेष लोक अभियोजक” शब्दों के स्थान पर “विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक” शब्द रखें जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 7 में,-

(क) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त अधिकारी उच्च प्राधिकरण पर अन्वेषण पूरा करेगा, पुलिस अधीकरक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में इपार्ट को तुरंत राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त का भेजेगा और संबद्ध पुलिस धन्में का भारसाधक साठ दिन की अवधि (इस अवधि में अन्वेषण और आरोप पत्र फाइल किया जाना भी सम्भवित है) के भोत्र विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करेगा।

(2क) उपनियम (2) के अनुसार अन्वेषण में या आनंद पत्र फाइल करने में विनाश यदि कोई हो, अन्वेषणकारी अधिकारी द्वारा रिक्ति में स्पष्ट किया जाएगा।”;

(ग) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(3) राज्य सरकार या संघ गज्जक्षेत्र प्रशासन का सचिव, गृह विभाग और नचिय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग (विभाग का नाम राज्य दर राज्य परिवर्तित हो सकता है), संबद्ध राज्य का या संघ राज्यक्षेत्र या अभियोजन निदेशक, अभियोजन भारसाधक अधिकारी और पुलिस महानिदेशक या भारसाधक पुलिस आयुक्त, अन्वेषण अधिकारी द्वारा किए गए सभी आनंदपत्रों की प्रत्येक तिमाही के अंत तक स्थिति का पुनर्विस्तोकन करेगा।”।

5. उक्त नियमों में, नियम 8 के उप नियम (1) में खंड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(viiक) अधिनियम के अध्याय 4 के उपवर्धों के प्रधीन विनिर्दिष्ट पीडितों और साक्षियों के अधिकारों के कार्यान्वयन के बारे में जोड़ अधिकारी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को सूचित करता।”।

6. उक्त नियम के नियम 9 में, खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(vii) अधिनियम के अध्याय 4 के उपवर्धों के अधीन विनिर्दिष्ट पीडितों और साक्षियों के अधिकारों का कार्यान्वयन।”।

7. उक्त नियम के नियम 10 में, खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iv) परिलक्षित क्षेत्रों में अधिनियम के अध्याय 4 के उपवर्धों के अधीन विनिर्दिष्ट पीडितों और साक्षियों के अधिकारों का कार्यान्वयन।”।

8. उच्च नियम के नियम 12 में,—

(क) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित गद्वा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) जिला भजिस्ट्रेट या उप बंड भजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी भजिस्ट्रेट आवश्यक प्रशासनिक और अन्य प्रबंध करेगा तथा अत्याचार के पीड़ितों उनके परिवार के मद्दत्यों और आधिकारियों को इन नियमों से उपावधि अनुसूची के उपावधि 2 के साथ पठित उपावधि 1 में यथा उपबंधित पैमाने के अनुमान अत्याचार के पीड़ितों उनके परिवार के मद्दत्यों और आधिकारियों को गान दिन के भीतर नकटी या वस्तुरूप या दोनों में अनुनाय प्रदान करेगा और ऐसे तुरंत अनुनाय में भोजन, जल, कपड़े, आधय, चिकित्सीय महापता, परिवहन मुविधा और अन्य आवश्यक पदे भी सम्मिलित हैं।

(4अ) खजाने से तुरंत धन निकालने के लिए जिमसे कि उप नियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट अनुदोष रकम का ममण से उपबंध किया जा सके, संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्य शेत्र प्रशासन जिला भजिस्ट्रेट की आवश्यक प्राप्तिकार और अधिकारी प्रदान कर सकती।

(4आ) विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 15क की उपधारा (6) के बंड (ग) में यथा उपबंधित किसी अन्वेषण जांच और विचारण के दौरान दामाजिक, अर्थात् और पुनर्वास का आदेश भी कर सकता।"

(ख) उपनियम (7) में, "विशेष न्यायालय" शब्दों के अन्य पर दोनों मध्यांतों पर जहां जहां त्रै आते हैं "विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय" शब्द क्रमशः रखे जाएंगे।

9. उच्च नियम में नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"14. राज्य सरकार का विनिर्दिष्ट वायित्व — (1) गज्य सरकार आपने वायित्व वजट में अत्याचार में पीड़ित व्यक्तियों को यहत और पुनर्वास मुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए और मध्य ही अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच प्राप्त करने में पीड़ितों और माधिकारी की अधिकारों और हकदारियों के लिए समुचित स्थीर कार्यान्वयन करने के लिए आवश्यक उपबंध करेगी।

(2) राज्य सरकार एक क्लेंचर वर्ष में अभ में कम दो बार जनरी और जुलाई के मास में इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन विनिर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अधियोजक और अनन्य विशेष नोक अधियोजक के कार्यपालन का, जिला भजिस्ट्रेट, उप बंड भजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी द्वारा ग्राम विभिन्न ग्रामीणों, उनके द्वारा किए गए वनवेषण और उत्तरांग या निवारांम के कदमों, पीड़ितों को दिए गए अनुदोष और पुनर्वास मुविधाओं और संबंधित अधिकारियों की ओर में हुई वर्तियों से संबंध में रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करेगी।"

10. उच्च नियम के नियम 15 में,—

(i) उपनियम (1) में,—

(क) "उपबंधी के कार्यान्वयन के लिए एक आदर्श आकस्मिकता योजना तैयार करेगी", के शब्दों के स्थान पर "उपबंधी को प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने के लिए एक योजना योजना और उसे कार्यान्वयन करेगी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) बंड के पश्चात् निम्नलिखित बहु छन्द स्थानित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(क) अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा 11 में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और माधिकारी के अधिकारों और हकदारियों के लिए एक समुचित स्थीर;

(ii) उपनियम (2) में, "कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मंत्रालय को" शब्दों के स्थान पर "मामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, केन्द्रीय मंत्रालय के" शब्द रखे जाएंगे।

11. उच्च नियम में नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"16. गज्य स्वर्गीय सतर्कता और मार्गीदारी भविति का गठन;

(1) गज्य सरकार अधिक में अधिक 25 भदस्यों की एक उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मार्गीदारी भविति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(i) मान्यवंशीय या प्रथामूल-वृद्धिक (गण्डपति वासन के अधीन गज्य की दशा में गज्यपाल अध्यक्ष होगा);

- (ii) गृहमंत्री, वित्त मंत्री और अनुसूचित जाति नथ अनुमतित जनजाति के कल्याण और विकास का भाग साथक मंत्री – मंत्रम् (गांधीजी शब्द के अभीन गाय की दशा में समाजकार मदस्य होंगे);
- (iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में संवर्धित संसद्, गाय विधान सभा और विधान परिषद् के मध्य निर्वाचित सदस्य होंगे;
- (iv) मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिम गङ्गानिदेशक, निवेशक/उपनिदेशक, गांधीय अनुमतित जाति और गांधीय अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य होंगे;
- (v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भाग साथक मंत्रित।

(2) उच्च शक्ति प्राप्त भनकारी और मार्गदर्शी अधिनियम के उपवर्धों के कार्यान्वयन अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपाधारा (11) एवं विनिर्दिष्ट त्याय तक पहुँच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधियारों और हक्कदारियों के लिए स्त्रीम्, पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान की गई शक्ति और पूर्वाम् सुविधाओं वशा उसमे नवंशित अन्य विधयों, अधिनियम के अधीन मासलों के अधियोजन, अधिनियम के उपवर्धों या कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों या अधिकारियों की भूमिका का पुनर्विलोकन करने के लिए और गाय नकारात् द्वारा ग्रात् विभिन्न विधेयों के अन्तर्म नोटल अधिकारी और विशेष अधिकारी की विवेदी भी हैं, का पुनर्विलोकन करने के लिए केवल वर्षा में दस दो वार जनवरी और जुलाई के मास में होती।"

12. उच्च नियम के नियम 17 के, उपनियम (1) में, "अधिनियम के उपवर्धों के कार्यान्वयन के पुनर्विलोकन के लिए" शब्दों के पश्चात्, "अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपाधारा (11) में एवं विनिर्दिष्ट त्याय की पहुँच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हक्कदारियों के लिए स्त्रीम् शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

13. उच्च नियम के, नियम 17क के, उपनियम ('') में "अधिनियम के उपवर्धों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने के लिए" शब्दों के पश्चात्, "अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपाधारा (11) में एवं विनिर्दिष्ट त्याय की पहुँच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हक्कदारियों के लिए स्त्रीम्" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

14. उक्त नियमों की, अनुसूची में, उपाधारा 1 के रथान पर विस्तृतिकृत उपायों द्वारा जापाना, अर्थात्-

*उपायों-

[नियम 12(4) देखिए]

गहत गति के लिए मापदण्ड

प्रमाण	प्रारम्भ का तारीख	गहत की नूनतम राति
(1)	(2)	(3)
1.	अखाच या पृष्ठाजनक पवार्फ ब्लूना [अधिनियम की धारा 3(1)(क)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाल स्पाइ। पीड़ित व्यक्ति तो संदाय निम्नानुसार किया जाए।
2.	प्रन-मत्र, प्रन, पशु शब्द एवं सेट इन्स्यूलिन ब्लूना जनक [अधिनियम की धारा 3(1)(च)]	(i) दस मंड्याक (2) और (3) के लिए प्रथम शूचना विपोर्ट (एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और दस मंड्याक (1), (4) और (5) के लिए प्रथम शूचना विपोर्ट प्रत्येक पर 25 प्रतिशत;
3.	क्लिं करने, अयमानित या दुरुपय करने के अधय में मन्मप्र, कृदा, पशु शब्द इकट्ठा करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ग)]	(ii) जब आगेर पशु त्याकालग में भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत;
4.	जूतों की माला पहनाना या रखना या अर्द नग्र पुष्पाना [अधिनियम की धारा 3(1)(घ)]	(iii) जब अभियुक्त व्यक्ति दस मंड्या (2) और (3) के लिए प्रय न्यायालय द्वारा दोषित कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रयार दस मंड्याक (1), (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत।
5.	वनार्द्वक ऐसे कर्ग करना त्रैंग करने वाले वनार्द्वक, वनार्द्वक मिल का मृद्दन करना, मूर्छे हड्डाना, चैहरे का शरीर या सानन् [अधिनियम की धारा 3(1)(ज)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाल स्पाइ। जहाँ आवश्यक हो वहाँ संवधित गाय या संघ गाय वशाल द्वारा सरकारी वर्त्ते दर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचार सिविल चारम लोटाई जाएगी। पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय किया जाएगा।
6.	कृमि को मदोग अधिकारी में नना या उम या चुनी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(च)]	
7.	भूमि या परिसर में मदोग लेवलजा इमना या अधिकारी जिनके अन्तर्म वन अधिकारी भी हैं के साथ इन्वेन्टर करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ज.)]	

		<ul style="list-style-type: none"> (i) प्रथम मूचना गिरोह (एफआईआर) प्रत्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आगोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषमिळ दिए जाने पर 25 प्रतिशत।
8.	वेगार या अन्य प्रकार के ब्राह्मण या दधुक वर्ग [अधिनियम की धारा 3(1)(ज)]	पीड़ित अवक्षित को एक लाख रुपया। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा।
9.	मनव या पशुओं की अन्याएं या ने ब्रह्म या वर्ण को क्षोटन के दिए विवरण उठाना [अधिनियम की धारा 3(1)(अ)]	<ul style="list-style-type: none"> (i) प्रथम मूचना गिरोह (एफआईआर) प्रत्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आगोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषमिळ दिए जाने पर 25 प्रतिशत।
10.	अनुमूलिक जाति या अनुमूलिक जनजाति के ब्रह्म या वर्ण में क्षोट करनामा या संसे प्रयोजन के लिए उसे दिये जाने गए विवरण शब्द [अधिनियम की धारा 3(1)(ऋ)]	<ul style="list-style-type: none"> (i) प्रथम मूचना गिरोह (एफआईआर) प्रत्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आगोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषमिळ दिए जाने पर 25 प्रतिशत।
11.	अनुमूलिक जाति या अनुमूलिक जनजाति की स्त्री को देवदारी के रूप में कर्तव्य निपटान करने या मर्यादा का संवर्धन करने [अधिनियम की धारा 3(1)(ट)]	पीड़ित अवक्षित को प्रत्यासी द्वारा रुपया। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा।
12.	मतदान करने या नामांकित दाइन करने में विवरित करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ट)]	<ul style="list-style-type: none"> (i) प्रथम मूचना गिरोह (एफआईआर) प्रत्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आगोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषमिळ दिए जाने पर 25 प्रतिशत।
13.	पंचयत या नगर पालिका के घट के धारा 5 को कर्तव्यों के प्राप्ति में प्रवर्द्ध करना या अभिवृत्त करना या उसमें वरप्रधान हालत [अधिनियम की धारा 3(1)(इ)]	<ul style="list-style-type: none"> (i) प्रथम मूचना गिरोह (एफआईआर) प्रत्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आगोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषमिळ दिए जाने पर 25 प्रतिशत।
14.	मतदान के पश्चात् हिन्दू और माथाजिव जाति अधिकारी विवित का अधिगोपण [अधिनियम की धारा 3(1)(इ)]	पीड़ित अवक्षित को प्रत्यासी द्वारा रुपया। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा।
15.	विरोध विधिक अध्यार्थी के लिए मतदान करने या उसके मतदान नहीं करने के लिए उस अधिनियम के अधीन कोई अवधारणा करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ग)]	<ul style="list-style-type: none"> (i) प्रथम मूचना गिरोह (एफआईआर) प्रत्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आगोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषमिळ दिए जाने पर 25 प्रतिशत।
16.	सिध्या, हैप्पूर्ण या तंग करने वाली विधिक कारबाह्यों मध्यित करना [अधिनियम की धारा 3(1)(त)]	<ul style="list-style-type: none"> (i) प्रथम मूचना गिरोह (एफआईआर) प्रत्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आगोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषमिळ दिए जाने पर 25 प्रतिशत।
17.	विरोध प्रोक्सेवक को बोई मिठाओं और तुच्छ मूचना देना [अधिनियम की धारा 3(1)(थ)]	<ul style="list-style-type: none"> (i) पीड़ित अवक्षित को एक लाख रुपया या वास्तविक विधिक खर्चों और नुसासनियों की प्रतिपूर्ति जो भी हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा। (ii) प्रथम मूचना गिरोह (एफआईआर) प्रत्रम पर 25 प्रतिशत; (iii) न्यायालय को आगोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iv) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषमिळ दिए जाने पर 25 प्रतिशत।
18.	लंक दृष्टि में आने वाले विरोध स्थान पर वापसी अवधारणा से अवधारणा करने के लिए अधिवाय [अधिनियम की धारा 3(1)(द)]	<ul style="list-style-type: none"> (i) पीड़ित अवक्षित को प्रत्यासी द्वारा रुपया। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा।

19.	लोक दृष्टि में आने वाले विषय छात्र पर जारी के नाम में गर्व-मरीज करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ध)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आगोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) निम्नस्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषपत्र दिए जाने पर 25 प्रतिशत।
20.	शर्मिक मार्ती जाने वाली या अन्तिम छात्र से ज्ञान विषय वस्तु को नहीं करना, जानि पहुंचाना या उसे प्रदर्शित करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ग)]	
21.	श्रद्धा से वैमन्य पर भावनाओं में अभियुक्त करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ग)]	
22.	अपि थड़ा से मासे जाने वाले विषय विवरण बदलना पर शर्मिक द्वारा या विषय प्रश्नांक में अनावश्यक बनना [अधिनियम की धारा 3(1)(ग)]	
23.	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जीवि तो साधन एवं कार्यों या अंगदिक्षेत्रों का उपयोग करके जो अधिक प्रत्यक्षि के पार्श्व के दृष्टि में हो, उसकी सद्व्यवहारीत के दिला उसे स्वर्गी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ग)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपया। संदर्भ निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय द्वारा आगोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषपत्र दिए जाने पर 25 प्रतिशत।
24.	भारतीय दंड मंदिरों की धारा 326वाँ (1860 का 45) विवरण वस्तु देखना या ऐक्सेस कर देखना चाहता [अधिनियम की अनुसूची के नाम संकेत धारा 3(2)(ख)]	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिम्मेदार चौहा 2 प्रतिशत या उसमें अधिक जना हुआ है या आंख, कान, नाक और मूँह के प्रकार हाथ और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जनन की क्षमि दी देता में आठ लाख रुपयीं हजार रुपया; (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिम्मेदार शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के शीर्च में जना हुआ है, चार लाख रुपये द्वारा रुपया; (ग) ऐसे पीड़ित व्यक्ति, जेहर के अतिरिक्त, जिम्मेदार शरीर 10 प्रतिशत से कम जना हुआ है, तो दो लाख रुपया।
25.	भारतीय दंड मंदिरों की धारा 354(1860 का 45) नीं की जन्म संग करने के आशय से उम हस्ता या आपराधिक बल का उपयोग [अधिनियम की अनुसूची के नाम संकेत धारा 3(2)(ख)]	उमके अतिरिक्त गत्य गम्भीर या मध्य गत्य प्रशापन अभ्य के दृष्टि के पीड़ित व्यक्ति के उपनाम के लिए पूरी तिम्मेलारी देगा। पर (क) से (ग) के जिवरधनानुसार संदर्भ निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) चिकित्सा रिपोर्ट के पास हो जाने पर 50 प्रतिशत।
26.	भारतीय दंड मंदिरों की धारा 354 (1860 का 45) (सैरिक दंडः इन और वैशिक उपचारों के लिए दंड) [अधिनियम की अनुसूची के नाम संकेत धारा 3(2)(ख)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपया। संदर्भ निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत;

		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) निचले न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत। पीड़ित व्यक्ति को दो नाखूं रुपय। मंदाय निम्नानुमार किया जाएगा। (i) प्रथम मूलना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) अबर न्यायालय द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दोपमिद्द किए जाने पर 25 प्रतिशत।
27.	भारतीय दंड महिला की धारा 354व(1860 का 45) निवारक वारने के आश्रम में स्त्री पर हमला का वापराधिक दंड का प्रयोग [अधिनियम की अनुमूलीकी का साथ पठित धारा 3(2)(v)]	पीड़ित व्यक्ति को दो नाखूं रुपय। मंदाय निम्नानुमार किया जाएगा। (i) प्रथम मूलना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अबर न्यायालय द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दोपमिद्द किए जाने पर 40 प्रतिशत।
28.	भारतीय दंड महिला की धारा 354व(1860 का 45) दृष्टिकोण [अधिनियम की अनुमूलीकी का साथ पठित धारा 3(2)(v)]	पीड़ित व्यक्ति को दो नाखूं रुपय। मंदाय निम्नानुमार किया जाएगा। (i) प्रथम मूलना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अबर न्यायालय द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दोपमिद्द किए जाने पर 40 प्रतिशत।
29.	भारतीय दंड महिला की धारा 354व(1860 का 45) गोक्का वरना [अधिनियम की अनुमूलीकी का साथ पठित धारा 3(2)(v)]	पीड़ित व्यक्ति को दो नाखूं रुपय। मंदाय निम्नानुमार किया जाएगा। (i) प्रथम मूलना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अबर न्यायालय द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दोपमिद्द किए जाने पर 40 प्रतिशत।
30.	भारतीय दंड महिला की धारा 376व(1860 का 45) रवि द्वारा अत्यरीकरण के नाते पृथक्करण के दंड का मैथ्रन [अधिनियम की अनुमूलीकी का साथ पठित धारा 3(2)(v)]	पीड़ित व्यक्ति को दो नाखूं रुपय। मंदाय निम्नानुमार किया जाएगा। (i) निकिता परीक्षा और पुष्टिकारक विवित्या रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) अबर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
31.	भारतीय दंड महिला की धारा 376व(1860 का 45) प्राधिकार में विस्तीर्ण व्यक्ति द्वारा मैथ्रन [अधिनियम की अनुमूलीकी का साथ पठित धारा 3(2)(v)]	पीड़ित व्यक्ति को दो नाखूं रुपय। मंदाय निम्नानुमार किया जाएगा। (i) निकिता परीक्षा और पुष्टिकारक विवित्या रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) अबर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
32.	भारतीय दंड महिला की धारा 509(1860 का 45) बदल, अपेक्षित या कर्तव्य जो विस्तीर्ण की वजह का अन्तर्गत, करने के लिए आवश्यित है [अधिनियम की अनुमूलीकी का साथ पठित धारा 3(2)(v)]	पीड़ित व्यक्ति को दो नाखूं रुपय। मंदाय निम्नानुमार किया जाएगा। (i) प्रथम मूलना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अबर न्यायालय द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दोपमिद्द किए जाने पर 25 प्रतिशत।
33.	जल को दूषित या गंदा करना [अधिनियम की धारा 3(1)(म)]	सामान्य मूलिका जिसके अंतर्गत जल पानी दूषित कर दिया जाता है, की मालई भी है, को वापस लौटाने का पूरा छुर्च मन्द गति से वापस कर या मौत गज्यतेर प्रशासन द्वारा बहन किया जाएगा, इसके अतिरिक्त अतिक्षम अतिक्षम वायर पर्सीय होता है।

		राम न्यायीय निवापथ के प्रणाली में तिना शाखिकारी द्वारा विविधतय की जाने वाली प्रकृति की सामृद्धियक आविष्यों को सूचित करने के लिए तिना भजिस्ट्रट के पास जमा की जाए।
34.	नोक समागम के लिए स्थान में गुजरने के लिए रुहिङ्ग अधिकार में डनकार या नोक समागम के लिए स्थान का उपयोग करने वाले उस वर पहुंच स्थान से चाला गए होना। [अधिनियम की धारा 3(1)(म)]	संवधित राज्य सरकार या संघ सचिव क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रतिदिन व्यक्ति को चार लाख पश्चिम हजार रुपए और गुजरने के अधिकार के दायरावर्तन वा वर्ते। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा। (i) प्रथम सूचना लिपोर्ट (एफआईआर) प्रत्यक्ष पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आगोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को शोधमिल्ड किए जाने पर 25 प्रतिशत।
35.	गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मतदातृ वरना। [अधिनियम की धारा 3(1)(य)]	संवधित राज्य सरकार या संघ सचिव क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास वा अन्य स्थान पर स्थान या गुहरने के अधिकार की वहारी और रीडिल व्यक्ति को एक नाम स्पाए की गहरा रापा यरकारी छाँवे पर गृह का नुकसान निर्माण, यदि तिनिहाँ हो जाए हैं। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा। (i) प्रथम सूचना लिपोर्ट (एफआईआर) प्रत्यक्ष पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आगोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अबर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को शोधमिल्ड किए जाने पर 25 प्रतिशत।
36.	निम्नलिखित के संबंध में, लिए गए स्थान से उद्युक्ति जानि या अनुसृति जनरेट के पदमय को वापस लाना या निचले व्यक्ति (अ) क्षेत्र की बाधान्व समर्पित या अन्य वा साथ समाजना के प्राप्तान द्वारा वापिश्यान या स्थान भूमि या लिए गए धारा, रासन, कुशा, टैक, हॉज, तव या अन्य जनरेट स्थान या नहाने के घाट, लिए गए नोक निर्वात, लिए गए स्थान या रासने का उपर्योग। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)]	(अ). जेत्र वी सामान्य मापदंड संसाधनों कविस्ताल या अवधान भूमि या अन्य के साथ समाजना के अधार पर उपर्योग को या लिए गए नदी, धारा, रासन, कुशा, टैक, हॉज, तव या अन्य जनरेट स्थान या नहाने के घाट, लिए गए परिवर्तन, लिए गए यहाना जाने का उपयोग समाजना के अधार पर संवधित राज्य सरकार या संघ सचिव क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहान वरना और रीडिल को एक नाम स्पाए की गहरा। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा। (i) प्रथम सूचना लिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आगोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त व्यक्ति को अबर न्यायालय द्वारा शोधमिल्ड किये जाने पर। (आ) मार्बजनिक स्थानों पर न्यायालय या मार्बजन याइकिल पर मराने द्वारा दिया जाने वाले वर्ष पहनना या बागन निकालना या बागन द्वारा दीर्घ की नवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)]
	(इ) किसी लेंबे वृक्ष स्थान में द्वेष करना, जो लिंग का अन्य व्यक्तियों के लिए बुने हुए है, जो उसी भर्म के हैं या यांड धार्मिक गुरुओं या किसी ग्रामांकिक या सामृद्धिक कर्त्ता, जिसके लकड़ी शाक है, निवासना या दरमें भाग लेना। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ)]	(i) अन्य अतिक्रों के साथ समाजनापर्वक लिए गए वृक्ष स्थान में द्वेष करना, जो धार्मिक या अन्य व्यक्तियों के लिए बुने हुए है, जो उसी भर्म के हैं या कोई धार्मिक गुरु या किसी ग्रामांकिक या सामृद्धिक गुरुओं के लिए बुने हुए है,

		<p>नियमित या उनमें भाग लेने के अधिकार की गत्य मरकार या संघ वैज्ञ द्वारा प्रशासन द्वारा दृष्टान्ती करना और पीड़ित यो अन्य लाभ राष्ट्र के अनुत्तम। मंदाय लिम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) प्रथम भूचना रिपोर्ट(एकआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त यो अवर न्यायालय द्वारा दोषभेद किये जाते हैं।
		<p>(ट) किसी श्रेणीक मन्था, अन्यतर, अपेक्षाकार्य, ग्रामीण चालने के द्वारा या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना ; या यस्तव के बिंदु खुले किसी मन्था में प्रविलक द्वारा उपर्योग के लिए अधिकार की धारा 3(1)(यक)(ट)</p> <p>(इ) कोई व्यवसाय करना या एक वृत्तिक, व्यापार या कारबाह करना या किसी कार्य के लियोजन, विभाग विभिन्न के भव्य व्यापार व्यवसाय या उसके किसी भाग या उपर्योग करने का या उन वक्त रहने पर अधिकार है। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ)]</p> <p>(ट) कोई व्यवसाय करना या एक वृत्तिक, व्यापार या कारबाह करना या किसी कार्य के लियोजन, विभाग विभिन्न के भव्य व्यापार व्यवसाय या उसके किसी भाग या उपर्योग करने की या उन वक्त रहने पर अधिकार है। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(ट)]</p> <p>(उ) कोई व्यवसाय करना या एक वृत्तिक, व्यापार या कारबाह करना या किसी कार्य के लियोजन, विभाग विभिन्न के भव्य व्यापार व्यवसाय या उसके किसी भाग या उपर्योग करने की या उन वक्त रहने पर अधिकार है। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(उ)]</p>
		<p>(ए) कोई व्यवसाय करना या एक वृत्तिक, व्यापार या कारबाह करना या किसी कार्य के लियोजन, विभाग विभिन्न के भव्य व्यापार व्यवसाय या उसके किसी भाग या उपर्योग करने का या उन वक्त रहने पर अधिकार है। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(ए)]</p> <p>(इ) कोई व्यवसाय करना या एक वृत्तिक, व्यापार या कारबाह करना या किसी कार्य के लियोजन, विभाग विभिन्न के भव्य व्यापार व्यवसाय या उसके किसी भाग या उपर्योग करने की या उन वक्त रहने पर अधिकार है। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ)]</p> <p>(उ) कोई व्यवसाय करना या एक वृत्तिक, व्यापार या कारबाह करना या किसी कार्य के लियोजन, विभाग विभिन्न के भव्य व्यापार व्यवसाय या उसके किसी भाग या उपर्योग करने की या उन वक्त रहने पर अधिकार है। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(उ)]</p> <p>(ट) कोई व्यवसाय करना या एक वृत्तिक, व्यापार या कारबाह करना या किसी कार्य के लियोजन, विभाग विभिन्न के भव्य व्यापार व्यवसाय या उसके किसी भाग या उपर्योग करने की या उन वक्त रहने पर अधिकार है। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(ट)]</p> <p>(उ) कोई व्यवसाय करना या एक वृत्तिक, व्यापार या कारबाह करना या किसी कार्य के लियोजन, विभाग विभिन्न के भव्य व्यापार व्यवसाय या उसके किसी भाग या उपर्योग करने की या उन वक्त रहने पर अधिकार है। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(उ)]</p> <p>(इ) कोई व्यवसाय करना या एक वृत्तिक, व्यापार या कारबाह करना या किसी कार्य के लियोजन, विभाग विभिन्न के भव्य व्यापार व्यवसाय या उसके किसी भाग या उपर्योग करने की या उन वक्त रहने पर अधिकार है। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ)]</p> <p>(उ) कोई व्यवसाय करना या एक वृत्तिक, व्यापार या कारबाह करना या किसी कार्य के लियोजन, विभाग विभिन्न के भव्य व्यापार व्यवसाय या उसके किसी भाग या उपर्योग करने की या उन वक्त रहने पर अधिकार है। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(उ)]</p> <p>(इ) कोई व्यवसाय करना या एक वृत्तिक, व्यापार या कारबाह करना या किसी कार्य के लियोजन, विभाग विभिन्न के भव्य व्यापार व्यवसाय या उसके किसी भाग या उपर्योग करने की या उन वक्त रहने पर अधिकार है। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ)]</p>
37.		<p>इयत होले शा जादू देना इनके का आरोप लगाने के अर्थात् क्षमि या सामरिक आपाहानि करना। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)]</p>
38.		<p>सामाजिक या आर्थिक व्यक्तिशार अधिगोपित रहना या इसी धरवति देना [अधिनियम की धारा 3(1)(या)]</p>
39.		<p>प्रिया साक्ष्य देना या गठन। [अधिनियम की धारा 3(2)(i) और (ii)]</p>

		(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषमिळ दिये जाने पर।
40.	भारतीय दंड मंडिल (1860 वा 45) के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष में उभये अधिक के आमदान से दहनाए हैं। [अधिनियम की धारा 3(2)]	परिभिन्न और या उसके आधिकों को चाह लालू रखा। इस रकम में करकार ही मूल्य है थिरि अनुमूली में विनिर्दित अन्तर्धान दिया गया हो, मंदाप निम्नानुमार दिया जाएगा। (i) प्रथम मृतना दियोर्ड(एकआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को दिया जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषमिळ दिये जाने पर।
41.	भारतीय दंड मंडिल (1860 वा 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुमूली में विनिर्दित है, जो ऐसे दंड न कहाँच है त्रैमास में अपशंधी के लिए भारतीय दंड मंडिल से विनिर्दित दिया गया है। [अधिनियम की अनुमूली के भाव वर्तित धारा 3(2)(viii)]	परिभिन्न और या उसके आधिकों को दो लालू रखा। इस रकम में करकार ही मूल्य है थिरि अनुमूली में विनिर्दित अन्तर्धान दिया गया हो, मंदाप निम्नानुमार दिया जाएगा। (i) प्रथम मृतना दियोर्ड(एकआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को देजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषमिळ दिये जाने पर।
42.	लोक संत्रक के हाथी पीछित करना। [अधिनियम की धारा 3(2)(vii)]	परिभिन्न और या उसके आधिकों को दो लालू रखा। मंदाप निम्नानुमार दिया जाएगा। (i) प्रथम मृतना दियोर्ड(एकआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को देजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषमिळ दिये जाने पर।
43.	नियन्तकता। यात्राविक न्याय और अधिक रेता बंदायालय की अधिनियम में 16-18/97-गन्तव्याई न्याय वा 1 जून, 2001 में कग्य प्रभाग की प्रतिक्रिया के लिए अंतर्विधिनि विभिन्न विभागों और मूल्यालय के विषय मार्गदर्शक मिलान। अधिसूचना की पृष्ठ प्रति इत्यावधि 2 पर है।	परिभिन्न और या उसके आधिकों को दो लालू रखा। मंदाप निम्नानुमार दिया जाएगा। (i) विकिल्मा जान्स और विकिल्मा रिपोर्ट की पृष्ठी के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को देजा जाता है;
	(क) अत-प्रतिशत अक्षमता	परिभिन्न और या उसके आधिकों को दो लालू रखा। मंदाप निम्नानुमार दिया जाएगा; (i) विकिल्मा जान्स और विकिल्मा रिपोर्ट की पृष्ठी के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को देजा जाता है;
	(ख) जहाँ अक्षमता अत-प्रतिशत में कम है, विन्यु पत्राम प्रतिशत में अधिक है।	परिभिन्न और या उसके आधिकों को दो लालू रखा। मंदाप निम्नानुमार दिया जाएगा; (i) विकिल्मा जान्स और विकिल्मा रिपोर्ट की पृष्ठी के पश्चात् 50 प्रतिशत;
	(ग) जहाँ अक्षमता अत-प्रतिशत में कम है	परिभिन्न और या उसके आधिकों को दो लालू रखा। मंदाप निम्नानुमार दिया जाएगा; (i) विकिल्मा जान्स और विकिल्मा रिपोर्ट की पृष्ठी के पश्चात् 50 प्रतिशत;
44.	बनात्यंग या मासूट्रिक बनात्यंग। (i) बलात्यंग (भारतीय दंड नियंता (1860 वा 45) की धारा 375)	परिभिन्न और या उसके आधिकों को दो लालू रखा। मंदाप निम्नानुमार दिया जाएगा; (i) विकिल्मा जान्स और विकिल्मा रिपोर्ट की पृष्ठी के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को देजा जाता है;

		(iii) अधिकारीय द्वारा विचारण की समस्ति पर 25 प्रतिशत ।
	(ii) सामूहिक यन्त्रान्वय (भारतीय दंड मंदिर) (1860 का 45) की धारा 376A)	पीडित को ब्रह्म लग्न यज्ञीय हजार रुपये मंदाय निम्नानुभाव किया जाएगा : (i) विचित्र जात और विविधा रिपोर्ट की दृष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत , (ii) 25 प्रतिशत जब आगेप यज्ञ यात्रालय को छोड़ा जाते हैं ; (iii) अवश्य यात्रालय द्वारा विचारण की समस्ति पर 25 प्रतिशत ।
45	हत्या या घट्य	पीडित के ग्राह लाभ यज्ञीय हजार रुपये मंदाय निम्नानुभाव किया जाएगा : (i) यज्ञ पर्वती के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आगेप यज्ञ यात्रालय को छोड़ा जाते पर ;
46.	हत्या, घट्य, सामूहिक हत्या, वर्णात्वंग, सामूहिक वर्णात्वंग, स्थानीय अक्षमता और इन्हें के लीडिंगों को अतिरिक्त अनुग्राप ।	पूर्वोक्त मर्दों के अद्वितीय यज्ञ अनुनाम की रूपम के अतिरिक्त अनुनाम का अत्याचार यज्ञीय नारीय में तीन प्राप्त के अतिरिक्त निम्नानुभाव उत्पन्न किया जाएगा :-- (i) अनुमतित ग्राहि या अनुमतित जनजातियों में संवर्ध रखने वाले मूलक वर्णकों की विधवा या अन्य अद्वितीयों के प्रतिमास यज्ञ लाभ रुपया विशेष रूप से दिया जायगा और अन्य अनुभित रुप्य यज्ञों या यज्ञ यज्ञ लेख के नवकारी विवरण को लाभ है और मूलक के कुटुंब के दद्दियों को रोजगार और त्रृप्ति भूमि, घर, यदि तुम्हें कदम द्वारा आवश्यक हो, का उपर्युक्त ; (ii) पीडित के यात्रकों की यात्रा यज्ञ की दृष्टि वर्णन और उत्तरात्म भगवान-योग्याण । यात्रकों को भगवान द्वारा दृष्टिरूपीय अधिक रूपों या आवार्तिय स्फुरनों में उत्पन्न किया जा सकता । (iii) वर्षगों, चालम, गंड, दालों, इनहम आदि सैकड़ प्राप्ति प्राप्ति के लिए उपयोगी ।
47.	घरों को पूर्णतया नष्ट करने पर 25 जन्माना ।	इन्हें या दर्शकों में बने दृश्य घरों का निर्माण या नवकारी वारात पर इन्हें वहाँ उत्पन्न द्वारा जाहों उन्हें पूर्णतया जला दिया याता है या नष्ट कर दिया याता है ।"

[का. नं. 11012/1/2016-प्रिमी आर (डेस्क)]

आई-टी अनुग्रह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के शासकीय अधिकारों में अधिमुखना नं. सा.डा.नि. 316(अ) प्रारंभिक 31 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए, थे और उनका अनियंत्रित सारांश नि. 774(अ) तारीख 5 नवंबर, 2014 द्वारा किया गया था।